Phone :011- 23701358,9,6
E-mail : dir-syshq@esic.in

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

Employees' State Insurance Corporation
(मुख्यालय विस्तारित ऑफिस)
(Headquarters' Extension Office)
इंडियन एक्सप्रेस भवन, बी.एस.जेड.मार्ग, नई दिल्ली - 110002
Indian Express Building,B.S.Z.Marg, New Delhi – 110 002.
(ISO 9001-2008 Certified organization)

No G-32/11/6/50/2011-ISD(RTI)

Dated: 05.03.2014

सेवा में,

संयुक्त निदेशक (सू.का.अधि.)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
मुख्यालय,
नई दिल्ली

विषय: **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना मांगने के लिए श्री फिरोज खान, से प्राप्त आवेदन का अग्रेषण।**

महोदय,

कृप्या पत्र संख्या जैड-12/14/आई.डी.सं.5709/फि.खा./2013-सू.का अधि. दिनांक 27.02.2014 जो की इस प्रभाग में 04.03.2014 को प्राप्त हुआ का अवलोकन करें। इस संदर्भ मे यह सूचित किया जाता है आवेदनकर्ता श्री फिरोज खान के द्वारा अपने आवेदन दिनांक 01.02.2014 के अन्तर्गत :

अपेक्षित सूचना सं. 1 पर मांगी गई जानकारी की विषय सामग्री पी.आर.शाखा (वेब साइट कंटैंट मैनेजर) से संदर्भित है क्योंकि पत्र संख्या Z-11/13/1/2010-PR दिनांक 24.12.2010 विषय Website Contents Management of ESIC के अनुसार यह कार्य PR Branch द्वारा संचालित किया जा रहा है और आवेदन कर्ता द्वारा जिस लिंक का उल्लेख किया गया है उस लिंक पर अब कोई जानकारी नहीं आ रही है परंतु लिंक के नाम के अनुसार यह Employees Guide से संबन्धित है वह भी PR Branch द्वारा प्रकाशित करवायी जाती है। जिस कारण यह निवेदन किया जाता है कि कृप्या कर संबन्धित जानकारी PR Branch से प्राप्त की जा सकती है।

अपेक्षित सूचना सं. 2 पर मांगी गई जानकारी की विषय सामग्री के अन्तर्गत E-mail भेजने वाले का नाम और विषय नहीं दर्शाया गया है जिस कारण यह शाखा उक्त जानकारी का उत्तर देने में असमर्थ है।

अपेक्षित सूचना सं. 3 पर मांगी गई जानकारी की विषय सामग्री के जवाब में यह प्रभाग इस का जवाब देने में सक्षम नहीं है। कृप्या करके इस कार्यालय की प्रबंध सेवा एकक (MSU ब्रांच) से संपर्क किया जा सकता है।

भवदीय

(साहिल अग्रवाल)
उप-निदेशक(सू.सं.प्रौ.)

वेबसाइट की विषय-सूची का प्रबन्धन
Website Contents Management
डायरी सं / Diary No. 113/2014 - 336
दिनांक / Date 11/3/2014

प्रतिलिपि :
1) श्री फिरोज खान पुत्र श्री रमजान खान, भरत प्रोविज़न के पीछे, महादेव नगर, पावर हाउस के सामने, मैन सलावास रोड, बासनी सेकण्ड फैस, जौधपुर 342005, मो. 9982592154
2) पी.आर.शाखा (वेब साइट कंटैंट मैनेजर), क.रा.बी. निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली को (मूल पत्र की प्रतिलिपि के साथ) अग्रिम कार्यवाही हेतु
3) प्रबंध सेवा एकक (MSU Branch), क.रा.बी. निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली को (मूल पत्र की प्रतिलिपि के साथ) अग्रिम कार्यवाही हेतु

3 सं. - 42/ प्रा०

आर टी आई/स्पीड पोस्ट

मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
आई.एस.ओ. द्वारा प्रमाणित
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली
Website:-www.esic.nic.in Phone No.:-011-23230963

जैड–12/14/आई.डी.सं. 5709/फि.खा./2013–सू.का अधि. दिनांकः 27.02.14

सेवा में,

संयुक्त निदेशक (System),
कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
मुख्यालय,
नई दिल्ली

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना मांगने के लिए श्री फिरोज खान, से प्राप्त आवेदन का अग्रेषण ।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत सूचना प्राप्ति हेतु उपर्युक्त आवेदक से प्राप्त आवेदन दिनांक 01.02.14 जो कि दिनांक 12.02.14 प्राप्त हुआ, की एक प्रति एतदद्वारा इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि आप अपने प्रभाग से संबंधित सूचना/सूचना के भाग को देर से देर 03.03.14 तक आवेदक को सीधे भेज दें। विकल्प रूप में संबंधित सूचना आवेदक को अग्रेषित करने हेतु अधोहस्ताक्षरी को भी प्रस्तुत की जा सकती है। ***इस स्थिति में मांगे गये दस्तावेज/दिये जा रहे दस्तावेजों को दो प्रतियों में भेजा जाये।***

कृपया यह भी नोट करें कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 05 की धारा 5(5) के अन्तर्गत कोई अधिकारी जिसकी धारा 5 (4) के अन्तर्गत सहायता मांगी गई है, तो वह प्रावधानों के किसी उल्लंघन के प्रयोजन के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में समझा जाएगा ।

आवेदक को सूचना 2/– रूपये प्रति पृष्ठ की दर से प्रभारित कर उपलब्ध करायी जाये। यदि किसी सूचना को कार्यालय में आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों में नहीं दिया गया तो उसे निःशुल्क दिया जाएगा। अतएव यह सुनिश्चित करने के पूर्ण प्रयास किये जायें कि सूचना समय सीमा के भीतर उपलब्ध करायी जाये।

आवेदक ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 05 के अन्तर्गत **10/–रूपये (20/–रुपये अतिरिक्त)** का आवेदन शुल्क अदा कर दिया है।

भवदीय,
27.2.14

संलग्नः यथोपरि

संयुक्त निदेशक (सू.का.अधि.)
कृते, के.लो.सू.अधि

प्रो. प्रभाग/... Division
सं./Diary No. 754
/Date 5/3/2014.
क.रा.बी.नि./ESIC HQ
आर टी आई क्र० 60
5/3/2014.

(4)

स्पीड पोस्ट

नमूना प्रपत्र – 1

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
(जन सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदनपत्र)

दिनांक 01.02.2014

सेवा में,
जनसूचना अधिकारी (CPIO),
कर्मचारी राज्य बिमा निगम,
पंचदीप भवन, सी आई जी मार्ग,
दिल्ली 110002

ESIC (HQ) 125 12-2-14

आवेदक का नाम एवं पुर्ण पता

फिरोज खान पुत्र रमजान खान
भरत प्रोविजन के पिछे, महादेव नगर,
पावर हाउस के सामने, मैन सालावास रोड,
बासनी सेकण्ड फैस, जौधपुर 342005
मो. 9982592154

__अपेक्षित सूचना सं 1__

माह अगस्त 2010 को कर्मचारी राज्य बिमा निगम की आधिकारिक वेबसाइट ईएआईसी डाट एनआईसी डाट इन **esic.nic.in** पर http://esic.nic.in/act-rti/employees%20guide.htm (Point Number __46 of the Employees Guide)__ के दिशानिर्देश कि सुची प्रदान करते हुये निम्न सुचना पर स्पष्टीकरण दें।

1. बिन्दु संख्या 46 के तहत क्या जानकारी लिखी गयी थी।
2. बिन्दु संख्या 46 के तहत लिखी गयी थी जानकारी वेबसाइट पर लिखने हेतु किस अधिकारी ने कहा था, जिस आदेश/पत्र के अनुसार वेबसाइट पर लिखा गया उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करे एवं बताये कि क्या यह दिशानिर्देश अधिनियम के अनुसार था या नहीं।

JD(S) (PG) (BFT) (Rev.)

__अपेक्षित सूचना सं 2__

3. दिनांक 25 अगस्त 2010 को कर्मचारी राज्य बिमा निगम की एक ईमेल आईडी **jd-sys@esic.nic.in** पर मेल भेज कर कुछ जानकारी मांगी गयी थी जिस पर **jd-sys@esic.nic.in** मेल के उपयोगकर्ता श्री अरविंद कुमार, संयुक्त निदेशक (सिस्टम) ने तथाकथित मेल को आगे **jd-pg@esic.nic.in** , **jd-bft@esic.nic.in** , **ac-revenue@esic.nic.in** को भेज कर आवेदक को सहायता / प्रतिउतर / मार्गदर्शन / सुचना / स्पष्टीकरण देने को कहा गया था के संदर्भ निम्न जानकारी दे।

- मेल कि प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करे।
- क्या श्री अरविंद कुमार, सयुक्त निदेशक (सिस्टम) ने, जिन को मेल भेजा वे प्रतिउतर देने के लिये जिम्मेदारे थे या नहीं।

1143
13/2

✓ यदि जिन को मेल भेजा वे प्रतिउतर देने के लिये जिम्मेदार थे परन्तु प्रतिउतर क्यों नहीं दिया। 15

अपेक्षित सूचना सं 3

यदि कोई बिमित कर्मचारी राज्य बिमा निगम के अधिनियम के बारे मे जानकारी चाहे ओर जिम्मेदार अधिकारी प्रतिउतर नहीं देता है ओर बिमित को आर्थिक/मानसिक हानि हो तो नियम/अधिनियम मे उसकी भरपाई का क्या प्रावधान है संदर्भ निम्न तथ्यों के साथ जानकारी दे।

चाही गयी जानकारी का उपयोग कानुनी कार्यवाही मे किया जा सकता हैं अतः इसकी विश्वनियता पर ध्यान रखें एवं प्रतिलिपि प्रमाणित कर प्रदान करे।

मैं, एतदद्वारा, कथन करता हूँ कि मांगी गई सूचना उन श्रेणियों के तहत आच्छादित नहीं है जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के तहत अथवा धारा 9 के तहत सूचना के प्रकटीकरण से छूट–प्राप्त है और जहां मुझे ज्ञात है, यह आपके विभाग या कार्यालय से ही संबद्ध है।

मेरे द्वारा आवेदन शुल्क के रूप मे पोस्टल आर्डर क्रमाकं 416084 दिनांक 14.12.2013 शुल्क की राशि दस रुपये मात्र का सलग्न किय जा रहा है।

मेरे द्वारा सूचना शुल्क के रूप मे पोस्टल आर्डर क्रमाकं 416085, 416086 दिनांक 14.12.2013, 14.12.2013 शुल्क की राशि बीस रूपये मात्र का सलग्न किय जा रहा है ओर यदि मेरे द्वारा सूचना शुल्क के रूप मे जमा कराई गयी राशी सूचना शुल्क के लिये कम है तो दिये गये पते पर शेश सूचना शुल्क के बारे मे अवगत कराये ताकि मेरे द्वारा सूचना शुल्क का भुगतान कर अपेक्षित सूचना प्राप्त की जासके।

घन्यवाद।

02/02/2014

फिरोज खान पुत्र रमजान खान

अपेक्षित सूचना उपर दिये गये पते पर निर्धारित समय (30 दिनो के भीतर)में भेजे। 14

प्रतिलिपि

1. Appellate Authority (Medical Division, Hqrs), ESIC Hqrs. Office, Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
2. Appellate Authority, Hqrs, (For all Divisions other than Medical Division), ESIC Hqrs. Office, Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
3. Transparency Officer, ESIC Hqrs. Office, Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002